

online  
2018/00260

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

45  
2018

क्रमांक/राजस्व/2018/ 6271  
तहसीलदार  
श्रीमाधोपुर।

दिनांक 16.08.2018  
21-8-18

### संशोधित-आदेश

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015-16 के परिप्रेक्ष्य राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राज् जयपुर के परिपत्र प3 (2) राज-6/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619-44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328-53/राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1085 दिनांक 21.06.2018 के द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5433/राजस्व/2018 दिनांक 6.7.2018 के द्वारा आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के सम्बन्ध में रास्ते के रूप में काम आने वाले रकबे के ज्यादा होने से उक्त आदेश में अंकित रकबे को कम किये जाकर पुनः संशोधित प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के पत्रांक 1493 दिनांक 13.08.2018 के द्वारा संशोधित प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा इस कार्यालय को भिजवाये गये है। जिसके आधार पर इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 5433/राजस्व/2018 दिनांक 6.7.2018 में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नानुसार संशोधित आदेश जारी किये जाते है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार उप तहसीलदार अजीतगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूचि व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को संलग्न प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये जाते है कि निम्न खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शों में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि हो तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किया जावे।

क्र.स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1.	सिमारला जागीर	कोलवा	10	0.81 हैक्टर बारानी 3	0.0270 हैक्टर
2.	सिमारला जागीर	कोलवा	16	2.33 हैक्टर बारानी 3	0.0220 हैक्टर
3.	सिमारला जागीर	कोलवा	18	0.88 हैक्टर बारानी 3	0.0120 हैक्टर
4.	सिमारला जागीर	कोलवा	19	0.03 हैक्टर बारानी 3	0.0030 हैक्टर
5.	सिमारला जागीर	कोलवा	20	0.85 हैक्टर बारानी 3	0.0200 हैक्टर
	सिमारला जागीर	कोलवा	21	0.16 हैक्टर बारानी 3	0.0030 हैक्टर

संलग्न- संशोधित प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस

GW ✓  
(ब्रह्मलाल जाट)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)